

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
पत्रांक-2260/11-सी- FP/UP/Approach/44699/2020 लखनऊ, दिनांक: जनवरी 06, 2023

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2,
लखनऊ।

विषय:- कार्योपरान्त स्वीकृति (Ex-post Facto) के अन्तर्गत जनपद हाथरस में नगला उम्मेद-नगला भुस मार्ग (अन्य जिला मार्ग) (पुराना हाथरस-आगरा मार्ग) किमी० 03 चैनैज-2.243 की बांयी पटरी पर खसरा संख्या-10 में मै० इण्डियन ऑयल कार्पो० लि०, द्वारा न्यू रिटेल आउटलेट के सम्पर्क के निर्माण हेतु 0.069777 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्षा पातन की अनुमति के सम्बन्ध में। प्रस्ताव FP/UP/Approach/44699/2020

सन्दर्भ: भारत सरकार का पत्रांक-8बी०/यू०पी०/०६/६८/२०२२/एफ०सी०/६९९, दिनांक-24.11.2022

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करने की कृपा करें। भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा विषयगत प्रकरण में की गयी बिन्दुवार आपत्तियों का निराकरण कर वांछित सूचना/अभिलेख वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़ ने अपने पत्रांक-1821/14-1, दि० 27.12.2022 द्वारा इस कार्यालय में प्रेषित किया गया है।

अतः वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़ द्वारा प्रेषित की गयी बिन्दुवार आपत्तियों का निराकरण सम्बन्धी अभिलेख दो प्रतियों सहित इस आशय से प्रेषित किया जा रहा है कि कृपया विषयगत प्रकरण में आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार ।

भवदीय,

(अनुपम गुप्ता)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

संख्या-2260/11-सी- FP/UP/Approach/44699/2020, दिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।
- 2- प्रभागीय वनाधिकारी, हाथरस वन प्रभाग, हाथरस।
- 3- मुख्य प्रबन्धक(रिटेल सेल्स) इण्डियन ऑयल कार्पो० लि०, आगरा मण्डल, कार्यालय 65/2, संजय प्लेस, आगरा-282002 (यू०पी०)।

(अनुपम गुप्ता)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।